वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः 15152 पू0वि0वि0 / सा0प्र0 / एफ– / 2010 दिनांक : 18.02.2010

सेवा में,

कु0 झांसी मिश्रा
पुत्री श्री एस0के0 मिश्रा
क्वाटर नं0 ई–31 सरकारी कालोनी
बारामुण्डा, जिला– खूर्दा
भुवनेश्वर–751003.

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में **प्रवक्ता पद** पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिये **फार्मेसी विभाग** में आपको अध्यापन कार्य करने की अनुमति निम्न शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन दी जाती है।

1. आपको रू0 20,000 / – नियत मानदेय प्रति माह देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
2. कार्यभार ग्रहण करते समय रू0 20 / – मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा, जिसमें आपकी सेवा शर्तो का उल्लेख है।
3. उपरोक्त नियुक्ति के आधार पर आगे सेवा की निरन्तरता या भविष्य में किसी पद पर विनियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
4. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इस विषय में कुलपति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
5. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जारी शासनादेशों के कम में अनुमन्य अवकाश के अतिरिक्त अनुपस्थित रहने पर संविदा धनराशि में प्रतिदिन के दर से कटौती की जा सकेगी।
6. आप दिनांक 15.03.2010 तक संविदा के आधार पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

18/2/2010
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभारी / विभागाध्यक्ष फार्मेसी विभाग।
2. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, प्रशासन।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur